भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 40
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 23 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है

बीएचईएल के अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट कंसल्टेन्ट्स को वित्तीय सहायता

40. श्री सालिम अंसारी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने दस्तावेजों के लीक होने के मामलों में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जांच की जा रही वेबसाइट्स/कंसल्टिंग फर्मों को भारी अंशदान/शुल्क/काफी संख्या में विज्ञापन प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त वेबसाइट्स/पोर्टल्स और कंसल्टेन्ट्स को अब तक प्रदान किए गए अंशदान/शुल्क/विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भेल ने भी इन भ्रष्ट परामर्शदाताओं/कंसल्टेन्ट्स से दस्तावेज प्राप्त किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भ्रष्ट कंसल्टेन्ट्स/पोर्टल्स आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भेल के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): दस्तावेजों के लीक होने के हाल के मामले में विशिष्ट वेबसाइटों/कंसल्टिंग फर्मों की दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की जा रही जांच के संबंध में सरकारी प्राधिकरण/अभिकरण की ओर से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं की गई है। अतः, वर्तमान में उपलब्ध सूचना के अनुसार, भेल द्वारा दस्तावेजों के लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जांच की जा रही वेबसाइट्स/कंसल्टिंग फर्मों को भारी अंशदान/शुल्क अदा किए जाने/विज्ञापन प्रदान किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) से (घ): उपर्युक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

****